

04.08.2022:-पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नही
आयें। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई
गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन /
वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व उसके
अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण
वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की
जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

